

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2021 254 /पटना, दिनांक— 23.2.22

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह,

उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

बिहार, पटना।

विषय:— मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-उप शीर्ष-0104 के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पीरो के अधीनस्थ स्वीकृत पथ "1. PMGSY Road Amal To Sitaram Tola And Bihari Tola (Noniya Tola)", Length-1.670 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 136.190 लाख रुपये मात्र एवं "2. PMGSY Road Sambhal Tola To Barodih", Length-1.840 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 158.660 लाख रुपये मात्र की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को Drop (रद्द) करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-117/2018-120/ पटना, दिनांक-03.02.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति) के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-लघुशीर्ष-789-उप शीर्ष-0104 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पीरो के अधीनस्थ स्वीकृत पथ "1. PMGSY Road Amal To Sitaram Tola And Bihari Tola (Noniya Tola)", Length-1.670 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 136.190 लाख रुपये मात्र एवं "2. PMGSY Road Sambhal Tola To Barodih", Length-1.840 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 158.660 लाख रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा से प्राप्त सम्मिलित प्रतिवेदन के आधार पर विषयांकित पथ से लाभान्वित होने वाले लक्षित बसावट जुड़ा हुआ है एवं Drop (रद्द) करने योग्य है। फलतः प्रासंगिक पत्र के क्रमांक:-11 एवं 12 पर अंकित पथ "1. PMGSY Road Amal To Sitaram Tola And Bihari Tola (Noniya Tola)", Length-1.670 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 136.190 लाख रुपये मात्र एवं "2. PMGSY Road Sambhal Tola To Barodih", Length-1.840 Km, प्राक्कलित राशि ₹ 158.660 लाख रुपये मात्र

RMD

की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को DROP (रद्द) की जाती है एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल को निदेशित किया जाता है कि Drop (रद्द) किये जाने वाले पथ का संबंधित DPR परामर्शी से DPR पर हुए खर्च की गई राशि का वसूली कर मुख्यालय को सूचित किया जाए।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार, माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका सं०-BRRDA(HQ)MMGSY-221/21 के पृ०-05/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2021 254 पटना/दिनांक:- 23.2.22

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त, भोजपुर/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता-4/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पीरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager/ IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव